न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मालाखेड़ा जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :- देवीसिंह
RAS

अपील संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
5/1	10.2.2022	20.6.2024

बउनवान

1- विवेक सिंह पुत्र स्व. ओमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जमालपुर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर
— अपी.

बनाम

1- ग्राम पंचायत जमालपुर प.स. मालाखेड़ा जरिये सरपंच
— रेस्पो.

अपील विरुद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत जमालपुर दिनांक 16.1.2007 इ.सं. 355 बाबत ग्राम जमालपुर

उपस्थिति :-

1- श्री जनकसिंह चौधरी एड. अपी.
2. " नूरदीन खां " रेस्पो.

निर्णय

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो. द्वारा पारित आज्ञा विरासत इन्तकाल सं. 355 दिनांक 16.1.2007 ग्राम सम्पर्क अभियान द्वारा कैम्प मे स्वीकार किया गया है। जिसमे अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम विवेकसिंह के स्थान पर विष्णु दर्ज कर स्वीकार किया है। वक्त स्वीकृति इन्तकाल मिन अपीलान्ट नाबालिग था इसलिये उक्त इन्तकाल की जानकारी मिन अपीलान्ट को नही हो सकी। उक्त इन्तकाल की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.12.2021 को हुई जबकि मिन अपी० ने इन्तकालाधीन आराजी की राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की। जिसके पश्चात मिन अपीलान्ट ने कानूनी राय लेकर अपील पेश की है जिस हेतु अलग से प्रा.पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत पेश किया जा रहा है।

इन्तकालाधीन आराजी मिन अपीलान्ट ओमवती बेवा ओमसिंह, सुमन, सुगन, सत्यदेवी पुत्रीयान ओमसिंह, देवी, सत्येन्द्रसिंह, विष्णु पुत्रान स्व. ओमसिंह, जैकसिंह पुत्र स्व. ओमसिंह समस्त कौम राजपूत निवासियान ग्राम जमालपुर के पति व पिता ओमसिंह की खातेदारी की आराजी थी जिनके स्वर्गवास के पश्चात उनकी विरासत का उक्त इन्तकाल सं. 355 दिनांक 16.1.2007 स्वीकार किया है। उक्त इन्तकाल मे मिन अपीलान्ट का नाम सही व वास्तविक नाम विवेकसिंह के स्थान पर विष्णु दर्ज

किया जाकर स्वीकृत किया गया है। मिन अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम विवेकसिंह है। तथा यही नाम अपीलान्ट के समस्त शैक्षणिक दस्तावेज व अन्य दस्तावेजो मे है। अपीलान्ट का गलत नाम विष्णु दर्ज होने से अपीलान्ट के हक हकूक जायल होने का अन्देशा है। अत: अपील स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल सं. 355 निरस्त फरमाकर गलत नाम विष्णु के स्थान पर विवेकसिंह दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. गणों नोटिस तलब किया। रेस्पो. ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया कि इन्तकाल संख्या 355 मे विष्णु [ना.बा.] दर्ज किया गया था उसके स्थान पर विवेकसिंह दर्ज किये जाने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

तहसीलदार मालाखेडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/र.प./2024/84 दिनांक 12.6.2024 मे अंकित किया है कि पटवारी द्वारा पेश मौका पर्चा दिनांक 6.6.2024 के अनुसार नाम. संख्या 355 मे दर्ज विष्णु [ना.बा] का सही नाम विवेक सिंह बताया है।

हमने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। रेस्पो॰ ने भी अपने जवाब मे अपीलान्ट का नाम विष्णु के स्थान पर विवेकसिंह दुरूस्त करने की अनुशंसा की है। अपीलान्ट के राशनकार्ड, आधारकार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका, मूलनिवास प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक एवं मतदाता निर्वाचक - नामावली 2021 मे भी अपीलान्ट का नाम विवेकसिंह का अंकन है। तहसीलदार मालाखेडा ने भी अपीलान्ट का सही नाम विवेकसिंह होना जाहिर किया है।

उपरोक्त दस्तावेजात एवं तहसीलदार मालाखेडा, सरपंच ग्रा. पं. जमालपुर की अनुशंसा के आधार पर प्रा.पत्र फार्म-5 को स्वीकार करते हुऐ अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलोच्य आदेश दिनांक 16.1.2007 बाबत इन्तकाल सं. 355 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का नाम विष्णु के स्थान पर विवेकसिंह का अंकन करते हुऐ पुन: नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)